न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 23/2020

1 प्रेमचन्द पुत्र दानाराम जाति माली निवासी अनानी कोठी के पास राधाकिशनपुरा सीकर तहसील व जिला सीकर।

बनाम

1 राजेश कुमार पुत्र बलवीर सिंह जाति जाट निवासी ग्राम आकवा तहसील धोद जिला सीकर।
2 नागरमल पुत्र दानाराम।
3 बजरंगलाल पुत्र दानाराम।
4 लालचन्द पुत्र दानाराम समस्त जाति माली निवासीगण अनाणी कोठी के पास राधाकिशनपुरा सीकर तहसील व जिला सीकर।
5 उप पंजियक सीकर तहसील व जिला सीकर।
6 भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर मुकदमा नम्बर 71/2019 उनवानी राजेश कुमार आदि बनाम नागरमल आदि आवेदन अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. 1956(टी.आई) दिनांकित 18.07.2020 को भी बहाल रखा गया।

उपस्थिति :

1. श्री रतनलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–आदेश–

दिनांकः–06.03.2020

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा संख्या 71/2019 में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। प्रस्तुत प्रकरण में कैवियट होने पर कैवियटकर्ता को तलब किया गया तत्पश्चात स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने के पूर्व से अपीलांट के पिता दानाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। अपीलांट के पिता दानाराम ने अपने जीवनकाल में सम्पूर्ण विवादित भूमि खसरा नम्बर 229,230, 236,237 वाके ग्राम राधाकिशनपुरा का जरिये पंजिकृत विकय पत्र छोटे–छोटे भू–खण्डो में बेचान कर दिया, कयकर्तागण ने पंजीकृत विकय पत्र से खरीदी गई भूमि पर आवासीय मकान बना लिये है। भू–खण्डो के रूप में पंजीकृत विकय पत्र होने से इनका नामान्तकरण दर्ज नही हो पाया। दिनांक 14.10.2015 को अपीलांट के पिता दानाराम का देहान्त हो गया। उक्त भू–खण्डो के अतिरिक्त शेष बची भूमि अपीलांट के पिता ने अपने जीवनकाल में जरिये पंजीकृत उपहार विलेख अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 को उपहार में दे दी। जिसके आधार पर नामान्तकरण दर्ज हो गया। भू–खण्डों में बेची गई भूमि का नामान्तकरण नही होने से अपीलांट के पिता दानाराम की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तकरण खोला गया। जिसमें अपीलांट की बहिन गीता देवी के हिस्से में 4789/58200 हिस्सा अर्थात 0.2394 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी गलत रूप से दर्ज हो गई। इस गलत अंकन का फायदा उठाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 ने गीता देवी से नुमाईशी विकय पत्र पंजीयन करवा लिया। जबकि गीता देवी का विवादित भूमि में कब्जा व अधिकार नही था। विवादित भूमि गीता देवी की पैतृक नही थी अपितु गीता देवी के पिता दानाराम की स्वअर्जित थी। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर बंटवारे का दावा कर विधि विरूद्व रूप से विचाराधीन स्थगन प्राप्त कर लिया है इससे अपीलांट के हक अधिकार प्रभावित हो रहे है। रेस्पोडेंट संख्या 1 के विकय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती दी हुई है। अत स्थगन स्वीकार कर विचाराधीन आदेश को अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने रिकार्डेड खातेदार से उसका हिस्सा जरिये विकय पत्र कय कर खातेदार दर्ज हुआ है। एक

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रिकार्डेड खातेदार बंटवारे का दावा लाने के लिये एवं स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी है। विचारण न्यायालय का स्थगन अन्तरिम है अन्तरिम आदेश की अपील पोषणीय नही है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने रिकार्डेड खातेदार से उसका हिस्सा जरिये विक्रय पत्र क्रय कर खातेदार दर्ज हुआ है। एक रिकार्डेड खातेदार बंटवारे का दावा लाने के लिये एवं स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी है। विचारण न्यायालय का स्थगन अन्तरिम है अन्तरिम आदेश की अपील पोषणीय नही है।

पक्षकारों के हक हकुक विचारण न्यायालय में वाद मे तय होने है। रेस्पोडेंट के विक्रय पत्र की वैधता का परीक्षण सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के स्तर पर किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर